

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

बाली देवी पत्नी कल्याण बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा

- वादिया

बनाम

- 1- बाली पुत्री भंवरलाल पत्नी सांवरलाल बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
- 2- भंवरी पत्नी भंवरलाल बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
- 3- मनभर पुत्री भंवरलाल पत्नी उंकार लाल बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
हाल ढीकोला तहसील शाहपुरा
- 4- सुनगन पुत्री भंवरलाल पत्नी भंवरलाल बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान हाल निवासी
देवीपुरा रूपाहेली तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5- रामकरण पिता श्रीराम बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
- 6- उपपंजीयक शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 7- तहसीलदार शाहपुरा कार्यालय तहसील शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 19 सन् 202 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब
मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वादिया द्वारा वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहने से वाद वादिया खारिज किया
जाता है।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 10 सन् 2023 को जारी की गई।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा